राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः– 91, 92, 93 एवं 94/2014..जिला–कोटा ।

उनवान– मैसर्स सनवे कन्सट्रक्शन, कोटा बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन कोटा ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2014	**खण्डपीठ** **श्री.मदन लाल, सदस्य** **श्री अतुल शर्मा, सदस्य** उक्त विविध प्रार्थना पत्र, अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के प्रकरण अपील संख्या 1721, 1722, 1723 एवं 1724 /2013/कोटा मैसर्स सनवे कन्सट्रक्शन, कोटा बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, कोटा निर्णय दिनांक 24.09.2013 के संबंध में प्रस्तुत कर, प्रकरणों के निस्तारण की समयावधि, छः माह बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है । राजस्व की ओर से श्री ओमप्रकाश, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (रिवीजन), अजमेर व व्यवहारी की ओर से श्री विनोद कुमार दिनांक 21.08.2014 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर बहस हेतु उपस्थित हुये। उक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समयावधि बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी । उभयपक्षीय बहस व अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक 21.11.2013 के जरिये पूर्व में निर्धारित समय सीमा मय स्थगन को दिनांक 28.11.2014 तक बढ़ाया जाना उचित है। अतः अपील प्रकरण के निस्तारण की समयसीमा दिनांक 28.11.2014 तक बढ़ायी जाती है । निर्णय सुनाया गया । (अतुल शर्मा) सदस्य 22.8.2014 (मदन लाल) सदस्य	